

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 02 जून, 2016

का.आ.1949(अ)—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 14क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 8घ में,--

(I) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) आय के संबंध में व्यय, जो कुल आय का भाग नहीं बनता है, वह निम्नलिखित रकमों का योग होगा, अर्थात् :--

(i) आय से प्रत्यक्षतः संबंधित व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनता है; और

(ii) विनिधान के मूल्य के आदि अतिशेष और अंत अतिशेष की मासिक औसत के वार्षिक औसत के एक प्रतिशत के बराबर रकम, जो कुल आय का भाग नहीं है या भाग नहीं बनती है :

परंतु खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम निर्धारिती द्वारा दावा किए गए कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।";

(II) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 43/2016 : फा. सं. 370142/7/2016-टीपीएल]

(डा. टी.एस. मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (तेरहवाँ संशोधन) नियम, 2016 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 1923(अ) तारीख 31.05.2016 द्वारा किया गया था।